


Please provide following information

1. जानकारी दे के किस आधार पर सेवा एवं आपूर्ति विभाग मे केवल बिहार राज्य के ही कर्मचारी को ही पोस्टिंग दिया जाता है क्या इस का कारण यह है कि प्रशासन ब्यूरो मे सभी ऑफिसर्स अनुभाग आधिकारी से ले कर संयुक्त सचिव तक बिहार राज्य से आते है कृपया बताये
2. श्री सुजीत कुमार सेवा एवं आपूर्ति विभाग मे तीन वर्ष से अधिक के कार्य काल पूरा कर चुके है मेरे दुवारा इस विषय मे लिखा गये पत्र प्रतिलिपि संलग्न की गई है पर कि गई कार्यवही की जानकारी दे एवं नोटिंग की कॉपी उपलब्ध कराई जाये
3. किस आधार पर मृतुन्जय कुमार त्रिपाठी सहायक अनुभाग आधिकारी को सेवा एवं आपूर्ति विभाग ०७ सालो से भी अधिक टाइम तक पोस्टिंग रक्खा गया है जबकी सेवा एवं आपूर्ति विभाग एक सेंसिटिव विभाग है और केयर टेकर का पद केवल अस अस ए के लिए है कृपया यह भी बताये की मृतुन्जय कुमार त्रिपाठी सहायक अनुभाग आधिकारी केयरटेकर के लिए बार बार रिक्लूटमेंट रूल्स मे क्यों परिवर्तन किया जा रहा है और जानकारी दे की पिछले ०७ सालो मे कितनी बार रिक्लूटमेंट रूल्स मे परिवर्तन किया गया है प्रतिलिपि उपलब्ध कराये

उपरोक्त सभी जानकारी ई मेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी मे दी जाए

आपका विश्वासपात्र

(हरीसंकर शास्त्री)

H No.336, Sector-6, DLF City,
Gurgram Haryana

सेवा में

श्री सुखबीर सिंह संधू , मुख्य सतर्कता अधिकारी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
कमरा नंबर-118, C- विंग,
शास्त्री भवन, डॉ राजिंदर प्रशाद रोड, नई दिल्ली-110001

श्रीमान,

आप को यह सूचित करना चाहता हु की श्री सुजीत कुमार, अवर सचिव की तैनाती सेवा एवं आपूर्ति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मे दिनांक 18 - 08 - 2015 को कार्यालय आदेश क्रमांक 156 / 2015 - इ.। के तहत की गई थी और इस प्रकार श्री सुजीत कुमार सेवा एवं आपूर्ति विभाग मे तीन वर्ष से अधिक के कार्य काल पूरा कर चुके है । सतर्कता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश अनुसार अवर सचिव(सेवा एवं आपूर्ति विभाग) का पद एक संवेदनशील पद है । और केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र क्रमांक 03 / 09 / 13 दिनांक 11/09/15 के अनुसार किसी भी अधिकारी को तीन वर्ष से अधिक समय के लिए किसी संवेदनशील पद पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है ।


इस प्रकार श्री सुजीत कुमार की अवर सचिव (सेवा एवं आपूर्ति विभाग) पर तैनाती केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है । और श्रीमान में आप की जानकारी मे यह भी लाना चाहता हु की कुछ महत्व पूर्ण पदों पर बैठे अधिकारि, जो उनके गृह राज्य से आते है, दुवारा यह जानकारी कि श्री सुजीत कुमार इस पद पर तीन वर्षों से अधिक समय से तैनात है, जान बुझ कर मुख्य सतर्कता अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं केन्द्रय सतर्कता आयोग से छुपाई जा रही है , ताकि श्री सुजीत कुमार को अधिक से अधिक समय का लिए इस पद पर तैनात रक्खा जा सके ।

श्रीमान, आप से निवेदन है की राष्ट्रीय हित मे इस विषय मे आवश्यक कार्यवाही करे ताकी केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के पालन हो सके ।

धन्यवाद

संलग्न: प्रतिलिपि कार्यालय आदेश क्रमांक 156 / 2015 -इ.।

आपका विश्वासपात्र


(हरीसंकर शास्त्री)

H No.336, Sector-6, DLF City,
Gurgaon Haryana

Copy to: CVC, Satarkata Bhavan , A-Block, GPO Complex , INA, New Delhi - 110 023
for information.